(1) कन्ट्रोल रूम की स्थापना

शासन के निर्देश के अनुपालन में जनता से बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए, तथा विभागीय सामंजस्य बनाये रखने हेतु जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में एक कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है, जिसका दूरभाष नं0 235305 है। इस कन्ट्रेाल रूम का प्रभारी अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी दैवी आपदा, श्री पी0सी0श्रीवास्तव को बनाया गया है तथा 24 घंटा इसे कार्यशील बनाये रखने हेतु तीन कर्मचारियों श्री रमाशंकर गुप्ता, मुस्ताक अहमद एवं गजनफर अली को तैनात किया गया है। उपरोक्त कन्ट्रोल रूम का नम्बर एवं जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी तथा तहसीलदारों के सी0यू0जी0 नम्बर समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर, सर्व साधारण को सुलभ करा दिया गया है। जनता द्वारा दर्ज कराई गयी सूचना/शिकायतों को सम्बन्धित विभागों को भेजकर समाधान कराया जा रहा है। दिन–प्रतिदिन के राहत कार्यों की दैनिक प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध करायी जा रही है, ताकि आम जनता को कोई भी सूचना, किसी भी समय, उपलब्ध कराई जा सके।

(2)राजस्व विभाग की कार्य योजना

राजस्व विभाग कृषकों तथा आम ग्रामीण जनमानस के सर्वाधिक निकट तथा कृषकों के लिये सर्वाधिक सुलभ विभाग है। अतः सूखा राहत से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु इस विभाग की महती भूमिका है। मुख्यतः राजस्व विभाग द्वारा निम्न क्षेत्रों में दायित्व निर्वहन कर सूखे के प्रभाव को न्यून किया जायेगा।

क– फसल क्षति का आंकलन एवं कृषि निवेश अनुदान वितरण

सूखे से सर्वाधिक क्षति कृषि फसलों की ही होती है। दोनों तहसीलों के उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार का प्राथमिक दायित्व है कि खरीफ सत्र में हुयी कृषकों की क्षति का मूल्यांकन (प्लाट टू प्लाट सर्वे) करके इसकी सूचना शासन को प्रेषित करें तथा शासन से स्वीकृत कृषि निवेश अनुदान के वितरण हेतु कैम्प लगाकर जनप्रतिनिधियों की उपस्थित में चेक के माध्यम से इसे वितरित करें। वर्तमान में खरीफ सत्र के लिए तहसील कर्वी द्वारा 5,02,55,185 तथा तहसील मऊ द्वारा 1,77,14,962 रूपये की कृषि निवेश की मांग की गयी। शासन द्वारा प्रत्येक लघु एवं सीमान्त कृषक को न्यूनतम् 1000/–रू0 की धनराशि उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये जाने पर, पुनः तहसील कर्वी द्वारा कुल 3,55,85,658 तथा तहसील मऊ 1,98,96,258 रू0 की मांग प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार तहसील कर्वी द्वारा कुल 8,58,40,843 तथा तहसील मऊ द्वारा 3,76,11,220 की मांग प्रस्तुत की गयी है। शासन द्वारा 5 करोड रूपया उपलब्ध करा दिया गया है तथा शेष धनराशि, टी0आर0–27 से आहरित कर उपलब्ध करा दी गयी है। इस प्रकार कुल उपलब्ध 12.34 करोड कृषि निवेश अनुदान में से दिनांक 19.12.07 तक 9.73 करोड का वितरण कृषकों में कैम्प लगाकर, माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जा चुका है।

ख–कृषि निवेश अनुदान वितरण एवं बैंकों में खाते खुलवाने हेतु ''विशेष कैंम्पो'' का आयोजन

कृषकों को अनुदान की धनराशि एवं बैंकों में शून्य बैलेन्स से खाते खुलवाने तथा राहत धनराशि तत्काल नकद उपलब्ध करा दिये जाने के उद्देश्य से, बैंकों के सहयोग से, जिला एवं तहसील मुख्यालयों तथा बैंक शाखाओं पर विशेष कैम्प आयोजित किये गये। अब तक लगभग 10 कैंम्पों का अयोजन किया जा चुका है, जिसमें 3000 से अधिक खाते खुलवाकर लगभग 25,00,000 की धनराशि का भुगतान तत्काल कृषकों को किया जा चुका है। इन्हीं कैंम्पों में कृषकों की इच्छा पर पूर्व में निर्गत एकाउन्टपेयी चेक को बियरर चेक में परिवर्तित कर नकद भुगतान करा दिया जा रहा है। ऐसे शिविरों का आयोजन सतत रूप से किया जाता रहेगा, जब तक कि लाभान्वित कृषकों के बैंकों में खाते न खुल जाएं अथवा चेक की धनराशि उन्हें नगद न मिल जाएं।

ग– निजी नलकूपों से सूखे तालाबों को भरवाने का कार्य

निरन्तर गिर रहे जल स्तर को बरकरार रखने तथा गांव एवं शहरों में पशुओं के लिए पेयजल सुलभ कराने के उद्देश्य से सूखे तालाबों को उपलब्ध जल स्त्रोतों से भरवाये जाने की कार्य योजना तैयार की गयी है। प्रथमतः, यह प्रयास राजकीय नहरों (सिंचाई विभाग द्वारा) तथा राजकीय नलकूपों (नलकूप विभाग) द्वारा किया जाना है। राजस्व विभाग द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार जनपद में कुल 1674 तालाबों में से 704 तालाबों के निकट ही जल स्त्रोत उपलब्ध है जिनमें से 333 तालाब वर्षा के जल से भरे हुये है। भरे जाने योग्य 371 तालाबों में से 234 राजकीय नहरों के तथा 14 राजकीय नलकूपों के कमान्ड एरिया में आते हैं, शेष 123 तालाबों को निजी नलकूपों से भरा जाना है। यह गुरूतर दायित्व राजस्व विभाग को दिया गया है। राजस्व विभाग द्वारा ऐसी कार्य योजना बनायी गयी है कि निजी नलकूपों का इस पद्धति से उपयोग किया जाय कि निजी सिंचाई हेतु भी किसानों को पानी उपलब्ध रहे तथा शेष समय में तालाब भी भरवा दिये जायें। 19.12.07 तक सिंचाई विभाग द्वारा 27 तालाब एवं 46 पोखर, राजकीय नलकूप द्वारा 07 तालाब तथा राजस्व विभाग द्वारा निजी नलकूपों से 88 तालाबों को भरवाया जा चुका है। शेष तालाब भी अतिशीघ्र भरवा दिये जायेंगे।

घ– निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को ''खाद्यान्न सुरक्षा'' उपलब्ध कराया जाना

यद्यपि खाद्यान्न के किसी भी संकट के निदान हेतु पूर्व से ही 28 ग्राम पंचायतों में 40 कुन्तल प्रति ग्राम पंचायत का का **''ग्रामीण खाद्यान्न बैंक''** स्थापित किया गया है, जिसमें से किसी भी समय आवश्यकता पडने पर कोई भी व्यक्ति एक कुन्तल खाद्यान्न उधार ले सकता है, जिसे अपनी सुविधानुसार बाद में वापस कर सकता है, तथापि सूखा के मद्देनजर कोई भी व्यक्ति भुखमरी की स्थिति में न आये इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्राम के कोटेदार के पास 01 कुन्तल गेंहूं एवं 01 कुन्तल चावल का **''सुरक्षित खाद्यान्न कोष''** स्थापित करा दिया गया हैं। इसके लिये ग्राम स्तरीय समिति बनाई गयी है, जिसमें ग्राम प्रधान एवं लेखपाल की महती भूमिका होगी, जो उस ग्राम के निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों का चिन्हीकरण करेंगे एवं उन्हें तत्काल 10 कि0ग्रा0 निःशुल्क खाद्यान्न का परमिट निर्गत कर देंगें। सम्बन्धित उप जिलाधिकारी ही इस व्यवस्था के ओवर आल प्रभारी होंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी असहाय एवं निराश्रित की भूंख से मृत्यु न होने पायें। तहसील कर्वी द्वारा अब तक लगभग 600 तथा तहसील मऊ द्वारा 282, ऐसे असहाय एवं निराश्रितों का चिन्हीकरण किया गया है। दिनांक 19.12.07 तक तहसील कर्वी के 107 तथा तहसील मऊ के 282, कुल 389, असहाय एवं निराश्रित व्यक्तियों को, प्रत्येक को 10 कि0ग्रा0 निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है। इस योजना पर सतत दृष्टि रखी जा रही है तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को वांछित खाद्यान्न उपलब्ध हों, तथा भुखमरी की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

ङ– सामुदायिक रसोई योजना

शासन के निर्देश पर प्रत्येक ग्राम में चिन्हित असहाय एवं निराश्रित व्यक्तियों को पका पकाया भोजन भी उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इसके तहत गॉव में उपरोक्त निःशुल्क खाद्यान्न योजना के तहत आबंटित खाद्यान्न में से 5 किलो ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से खाद्यान्न, संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दिया गया है, तथा अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु (कन्वर्जन कास्ट के रूप में) मिड् डे मील योजना की दर पर, अर्थात् 2 रू0 प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से माह दिसम्बर एवं जनवरी के लिये 90,000रू0 तहसीलों को उपलब्ध करा दिया गया है। दिनांक 19.12.2007 तक तहसील कर्वी में 15 तथा तहसील मऊ में 10 व्यक्तियों ने पका पकाया भोजन प्राप्त किया है। इस योजना को ग्राम में पूर्व से संचालित प्राथमिक पाठशाला की **''मिड् डे मील योजना''** के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है। अभी इस योजना के लाभार्थियों द्वारा उनके घर से प्राथमिक पाठशाला की दूरी अधिक होने के कारण पका पकाया भोजन प्राप्त करने में रूचि नहीं दिखाई जा रही है। उनकी मॉग है कि उन्हें कच्चा खाद्यान्न (गेंहूँ/चावल) ही उपलब्ध करा दिये जायें, स्कूल तक जाने में वे असमर्थ हैं। जिला आपदा राहत समिति की अगली बैठक में इस बिन्दु पर निर्णय लेकर शासन से यथोचित निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

च– शीत लहर से प्रभावित व्यक्तियों के लिये ''अलाव'' की व्यवस्था

शासन के निर्देशानुसार सूखा प्रभावित दोनों तहसीलों में अलाव की व्यवस्था हेतु 50–50 हजार की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है तथा दिनांक 19.12.2007 से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख स्थलों पर अलाव जलवायें जा रहे हैं। तहसील कर्वी में 17 सार्वजनिक स्थलों पर तथा तहसील मऊ में 14 सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलवायें जा रहे हैं।

छ– ''कम्बल'' वितरण की व्यवस्था

इसके अतिरिक्त प्रत्येक तहसील को 1.5–1.5 लाख की धनराशि, तथा दैवी आपदा कार्यालय चित्रकूट को 1 लाख की धनराशि कम्बल क्रय हेतु उपलब्ध करा दी गई है। शासन द्वारा इस मण्डल के लिये आबंटित संस्था, ''श्री गांधी आश्रम'' को कम्बल आपूर्ति हेतु आदेश दे दिये गये हैं। दिनांक 21.12.2007 तक श्री गांधी आश्रम जैतपुर क्षेत्र द्वारा कम्बल आपूर्ति कर दिये जाने का आश्वासन दिया गया है। पात्र लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है। आपूर्ति प्राप्त होते ही शासन द्वारा नियत तिथि, 31.12.2007 के पूर्व ही 21.12.07 से 25.12.07 के बीच ही सम्पूर्ण कम्बलों का वितरण सुनिश्चित कर लिया जायेगा।